Universe Journal of Education & Humanities ISSN 2348-3067

Volume-6, No. 1 Feb.-2019, pp. Hin. 27-31

# आर्थिक प्रगति के दौर में भारतीय महिला की समृद्धि व विकास के साथ–साथ सुरक्षा

**श्री अतुल कुमार,** शोधार्थी
अर्थशास्त्र विभाग,
डी0ए0वी0 (पी0जी0) कालेज बुलन्दशहर उत्तर–प्रदेश भारत।

किसी राष्ट्र के विकास पर आर्थिक, सामाजिक, मानव संसाधन, पर्यावरण जैसे विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें से प्रत्येक के मानदंड स्वयं में महत्वपूर्ण है। इन कारकों के अलग–अलग मिश्रण के कारण अधिकतर विकासशील देशों के सामने विकास से जुड़ी अलग–अलग चुनौतियां होती है। अर्थात् आर्थिक विकास और सामाजिक विकास साथ–साथ होते हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, सिंचाई, ऊर्जा संसाधनों आदि में सुधार आर्थिक संकेतों के साथ, शिक्षा स्वास्थ्य, आवास पेयजल आदि में सुधार की प्रक्रिया सामाजिक सुधार की दिशा में इंगित करती है, अर्थात् वित्त समावेशन की स्थिति में स्थिरता आती है। भारत आज विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था व बाजार में चिन्हित कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत में सशक्त लोकतांत्रिक औद्योगिक नीतियों का निर्माण हुआ। जिसके माध्यम से राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि, विकास दर में उतार–चढ़ाव में अनेक परिवर्तन देखे। जिसके प्रमुख कारण चीन से युद्ध (1962), पाकिस्तान से युद्ध (1965), अनाज संकट (1966), आर्थिक संकट (1991) आदि प्रमुख थे। साथ ही तत्कालीन राजनीति अनिश्चितता व शिशु अवस्था लोकतांत्रिक गतिविधियां ने राष्ट्र व समाज में सीमित समृद्धि व विकास का दौर देखा। प्रौद्योगिकी युग व वैश्वीकरण (1991 के बाद) के बाद देश में वृद्धि दर में सतत् विकास एवं सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में स्पष्टता व निश्चिता ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनमानस विकास के मार्ग चलने के लिए तैयार है। 1980 व 90 के दशक में भारत ने हिंसा, ब्रह्म षड्यंत्रों, व संसद की गरीमा पर हमले को झेलना, किन्तु विश्व भर के राजनीतिक विशेषज्ञों ने भारतीय लोकतंत्र संसदीय प्रणाली के लगातार नियमित व जनता के मत से लगातार गठित होते रहने पर प्रशंसा की। अर्थात् जो लोग लोकतंत्र को शिक्षित लोगों की व्यवस्था बताते थे, उसी व्यवस्था ने अशिक्षित व आर्थिक रूप से कमजोर जनतंत्र को आज 75 प्रतिशत साक्षरता व लगभग 7 प्रतिशत के विकास वृद्धि दर प्राप्त करने का लगातार सहज, सरल व संरक्षित मार्ग प्रशस्त किया।

**मुख्य शब्द**–भारतीय संस्कृति, महिलाऐं, सती प्रथा, महिला कल्याण नीति।

आर्थिक विकास के इस रोचक माहौल में, भारतीय सामाजिक संरचना में फेरबदल हुए हैं। जिसमें जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग भेद आदि मुद्दे प्रमुख रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या वृद्धि में अचानक अप्रत्याशित वृद्धि का दौर देखा, जिसमें परिवार नियोजन की बेहद कमी व निरक्षण ने उत्प्रेरक का कार्य किया। 1949 में संविधान के निर्माण के बाद समाज में संरचनात्मक व्यवस्थित करने के अनेक कानून सरकार द्वारा संसद में पारित किये। जिसमें विवाह, दहेज, महिला संरक्षण प्रमुख मुद्दे रहे। इसकी प्रमुख वजह थी नारी–विमर्श, फेमिनिज्म के पाश्चात्य अवधारणा का भारत में प्रवेश जिसने अठारहवीं शताब्दी के मानवतावाद व औद्योगिक क्रांति के दौरान 1792 में फ्रांसिसी क्रांति में दिये गये समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के सिद्धान्त को भारतीय संविधान के माध्यम से स्वतंत्र रूप से जनमानस व राजनीतिक परिदृश्य में रखा। जिसमें कुछ विधिक प्रावधान चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, इंडियन पीनल कोड 1960, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू दत्तकग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिन्दू नाबालिग और संरक्षता अधिनियम 1956, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, नेशनल कमीशन और वुमन एक्ट 1990 आदि ने महिलाओं को विधिवत् विधिक मदद का मार्ग प्रशस्त करा लेकिन कभी पुरुषवादी राजनीति महिला हितों पर हावी रही है। 1986 में पारित मुस्लिम विवाह अधिनियम (तलाक के अधिकार से रक्षा) में संविधान के संरक्षण से बहत्तर वोट बैंक की राजनीति हावी रही है।

मो0 अहमद खान बनाम शाहबानो वाद और अन्य मामलों में राष्ट्र को ध्यानाकर्षित किया, जिस पर राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा। इस कानून ने महिला को एक संरक्षक वस्तु का दर्जा दिया, जिसमें उन्होंने

तलाकशुदा महिला को 'इद्दत' की अवधि के दौरान भरण–पोषण की सुविधा के साथ ही तलाकशुदा महिला का पुनर्विवाह नहीं करना व भरण पोषण ना होने पर रिश्तेदारों पर आश्रित के साथ उनकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी का हक दिया गया, परन्तु पूरे अधिनियम में, संविधान की मूल भावना को उपेक्षित किया गया है, क्योंकि तलाकशुदा महिलाओं को भी पुरुष की तरह स्वतंत्रता, समानता और जीवन की गरीमा को निश्चित किया जा सके।

वही भारत सरकार ने अलग–अलग काल खण्डों में महिला नीति निर्माण के माध्यम से महिला उत्थान को प्रोत्साहित किया। जिसमें योजना आयोग द्वारा गठित पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं को केन्द्रीय सोशल वेल्फेयर बोर्ड, सामुदायिक विकास परियोजना महिला मंडल, अति गरीब महिला शिक्षा, मातृत्व लाभ एवं स्वास्थ्य, बहुआयामी दृष्टिकोण शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार महिला सशक्तिकरण, पंचायत में महिला प्रतिनिधित्व लिंग समानता, सूचना संसाधन एवं सर्विस, जेंडर एम्पावरमेंट एण्ड इक्विलेटी आदि को 1951 से 2012 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत लशित व क्रियान्वित किया गया।

**ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–**

भारतीय संस्कृति व सभ्यता में महिलाएं सदैव पूज्यनीय व सम्मान की स्थिति में रही है। वैदिक शास्त्रों सहित पौराणिक कथाओं अनेक महिलाओं के शैक्षिक क्षेत्रीय, प्रशासनिक व सामाजिक ज्ञान व नेतृत्व की क्षमता का उल्लेख मिलता है लेकिन भारत में राष्ट्र निर्माण ने पुरुषवादी सोच को समाज में प्रभावी किया। जिससे महिलाएं दलित व अन्य शोषित वर्ग अपना समाजिक, शारीरिक व सांस्कृतिक विकास नहीं कर सके। इन व्यवस्था ने ही भारतीय समाज को लिंग विभाजन की श्रेणीबद्धता, जाति, वर्ग, पृजातीयता की श्रेणीबद्धता, क्षेत्रीय विभिन्न्ता के साथ और भी ज्यादा उलझ गई लेकिन लिंग विभाजन ने महिला व पुरुष को हर स्तर पर विभिन्न पदानुक्रम में स्थापित किया। भारतीय संस्कृति का यह अपभ्रंग रूप (जिसने सहिष्णुता, समानता, सम्मान की गरीमा से परिपूर्ण राष्ट्र जीवन था) भारतीय राजनीतिक सत्ता पर स्थापत्य को लेकर हो रहे संघर्षों व बाह्य आक्रमणकारी आक्रांतों से ''असुरक्षा का भाव'' भी एक प्रमुख वजह रही।

परन्तु अनेकों ऐसे घटना कम है जहां महिला अपनी क्षमता पर प्रशासिक शासकीय एवं सामाजिक स्तर पर स्वयं को सुदृढ़ता के साथ प्रस्तुत करती नजर आती है। जिसमें रजिया सुल्तान रानी दुर्गाबाई, जोधाबाई, गुलबदन बेगम, नूरजहां, राजमाता, जीजाबाई (शिवाजी की माँ) जहां रानी लक्ष्मी बाई आदि ने अपनी क्षमता का परिचय दिया। ब्रिटिश कालीन भारत में पश्चात् दर्शन व शिक्षा का प्रभाव भारतीय समाज व बदलती संस्कृति एवं सभ्यता पर पड़ा। जिसमें पाश्चात्य के मानववादी व उदारवादी चिंतकों प्रभाव ब्रिटिश शासन पद्धति पर था और पाश्चात्य शिक्षासे भारत में आधुनिक समाज सेवी, राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, देवेन्द्र नाथ टैगौर, सर सैयद अहमद खाँ आदि ने महिलाओं के अधिकारों व भारतीय समाज में गरीमापूर्ण जीवन जीने के लिए संघर्ष किया। जिसमें सतीप्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, शिक्षा का पूर्ण अधिकार आदि शामिल है। जिसका परिणाम स्वतंत्रतापूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में अनेक महिलाओं ने असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व किया। जिसमें प्रमुख महिलाएं एनीबेंसेट (विदेशी), सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सुनीता चौधरी, भीकाजी, कामा, दुर्गाबाई देशमुख सहित अनेक महिलाएं प्रमुख थी। शिक्षा व निर्णय निर्माण की दक्षता के आधार पर ही, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, द्विराष्ट्र विभाजन का प्रकारात्मक प्रभाव सामाजिक मुद्दों पर भी पड़ा अर्थात् महिला मुक्ति संघर्ष राष्ट्र के मुक्ति संघर्ष में विलीन कर दिया गया था क्योंकि भारतीय महिलाओं के नेता जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजनी नायडू ने उत्तराधिकार, तलाक, विवाह के मुद्दों को व्यवस्थित करने हेतु व्यापक संहिता की आवश्यकता को महसूस किया।

अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस महिला समुदाय को संविधान के अनुसार एकीकृत कानूनी प्रकिया से जोड़ना था, लेकिन उसे अलग–अलग कानूनों/अधिनियमों (जैसे मुस्लिम वैयक्तिक कानून, हिन्दू विवाह अधिनियम, भारतीय ईसाई अधिनियम आदि) के दायरे में लाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिला सशक्तिकरण धीरे–धीरे उत्थान की ओर बढ़ा और समाज में लिंग–भेद में जैसी कुरीति के प्रति दृष्टिकोण बदला। स्वतंत्र भारत में देशें की महिलाऐं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर व प्रशासनिक स्तर पर अनेक महिलाओं ने अखिल भारतीय सेवा में सेवारत अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर रही है एवं पंचायत स्तर व गैर सरकारी संगठनों में महिलाएं प्रभावी क्षमता का प्रदर्शन एवं सामाजिक सेवा प्रदान कर रही हैं।

**महिला का स्वतंत्र भारत में अस्तित्व–**

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सैकड़ों वर्षों के अनाचार से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से हासिए पर गये महिला समुदाय को 'सुरक्षाभाव' आज सूचना

प्रौद्योगिकी के युग में भी प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि सती प्रथा (सती आयोग निरोध का अधिनियम 1987), दहेज, अन्यागमन, वेश्यावृत्ति, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, यौन उत्पीडन आज भी सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा जैसी कुरीति पूर्ण व्यवहार आज भी महिला मनोबल को तोड़ रहा है। मथुरा वाह (तुकाराम और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 1979) एस0सी0सी0 143) के बाद बलात्कार शब्द ने सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश कर आज 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक दिल्ली निर्भया रेप केस, मदसौर व जम्मू में नाबालिग बच्चियों से रेप की घटना (2018) और ना जाने आये दिन कितने रेप केस हैं, जो मीडिया, सोशल मीडिया या प्रशासन की दृष्टि से ओझल रह जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य विभागों में यौन उत्पीड़न के केस सामान्य हो गये हैं, क्योंकि प्रलोभन व भ्रष्टाचार जैसे अनैतिक कार्य ने महिलाओ को उपभोग की वस्तु बना दिया है।

दैवरौला (राजस्थान) में एक किशोरी व शिक्षित युवती (रूपकंवर) द्वारा किये गये, सती प्रथा द्वारा शरीर त्यागने की प्रकिया ने देश में, 1986 में एक बार फिर बहस शुरू हुई कि 1829 में सती प्रतिबंधित होने के बावजूद ऐसी घटना घटी। हालांकि सती आयोग (निरोधक अधिनियम 1987) द्वारा स्थाई निराकरण कर दिया गया किन्तु आज भी विधवा महिलाएं पुरुषवादी समाज में सुरक्षित नहीं हैं जिसकी प्रमुख वजह है, कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। वही दहेज प्रथा ने समाज में महिलाओं को बोझ समझा जाने लगा है क्योंकि समाज में बढ़ते आर्थिक परिदृश्य में वर पक्ष द्वारा दहेज की भारी मांग व सामाजिक प्रतिष्ठा से वधू पक्ष, वर पक्ष की मांगों के लिए आर्थिक अर्जन के लिए ऋण, खेत (सम्पत्ति) बेचना गिरवी रखने जैसे कदम उठाता है और यदि मांग की पूर्ति ना हो तो महिलाओं की निर्मम हत्या कर, इन असामाजिक तत्वों द्वारा संकेत साफ तौर पर दिया जाता है कि बेटी पैदा करना एक अभिशाप जैसा है। जिसके चलते समाज में महिलाओं को ज्यादा खर्चीली शिक्षा व अन्य व्यवस्था नहीं दी जाती है और परिवार 17–18 वर्षों तक बेटों के विवाह के धन का अर्जन करते रहते हैं। जो आज भी चलन में है, जब भारत में शिक्षा साक्षरता 75 प्रतिशत के आसपास है और भारत आर्थिक रक्षा क्षेत्रों शीर्ष विश्व व्यवस्थाओं में वर्णित है। हालांकि 2005 में घरेलू हिसा अधिनियम 2005 द्वारा महिलाओं का संरक्षण व सुरक्षित करने का प्रयास किया। जिसमें दहेज हत्या या दहेज मांग उल्लेखित किया गया किन्तु यह आज सामाजिक मानसिकता बन गई है। व्यवहारिक दृष्टि में समाज में आज वर पक्ष अपनी सम्पत्ति सरकारी नौकरी, विदेश, जमीं पर नौकरी के अनुसार खुलकर वधू पक्ष से धन की मांग करते हैं। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव महिला उत्थान के अवरोधक के रूप में समाज में वायरस की तरह अपनी पकड़ बनाये हुये है।

21वीं शताब्दी में महिला कल्याण को केन्द्रित किया गया। जिसमें आधार राष्ट्र महिला कल्याण नीति 2001 का निर्माण किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए एकीकृत शिक्षा, स्वास्थ्य निजी व सार्वजनिक रोजगार को प्रोत्साहित करना था लेकिन 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में महिला शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की स्थिति चिंताजनक है। वर्तमान भारतीय महिलाओं का केवल 27–28 प्रतिशत ही आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। (स्रोतः विश्व आर्थिक कोरम) जिसकी प्रमुख वजह है कि महिलाओं को सुरक्षित व अनुकूल परिस्थितियां नहीं होना। जिनमें एम0एस0 मैकोनेंजी एण्ड कम्पनी लि0 बनाम उदरे डी0 कोस्टा और अन्य (ए0आई0आर0 1987 एस0सी 1281) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि समान कार्य या समान प्रवृत्ति का कार्य करने वाले महिला और पुरुष आशुलिपिक को समान पारिश्रमिक दिया जाए परन्तु व्यवहार में ऐसा बेमुश्किल ही दिखाई देता है क्योकि सरकारी क्षेत्रों में सवैधानिक दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करते है किन्तु निजी क्षेत्रों में लाभप्रद स्थितियां सदैव हावी रहती है। वही एक अन्य मामले विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1997)(7) सुप्रीम 323य के मामले में सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का निरीक्षण करने के लिए मानक और निर्देश का निर्णय दिया। लेकिन आज भी कार्यस्थल पर महिलाओं से दुर्व्यवहार, दुराचार, असुरक्षा का वातावरण है एवं कार्यस्थल से वापस निवास पर आने में प्रयोग किये गये परिवहन संसाधन भी चुनौतीपूर्ण है।

वैश्यावृत्ति, भारत में प्रतिबंधित करने के लिए कुछ वैधानिक प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मनुष्यों के व्यापार को निषिद्ध करता है। धारा 372 व 373 आई0पी0सी0 में वैश्यावृत्ति के उद्देश्य से नाबालिंग को खरीद और बेचने वालो के लिए सजा का प्रावधान है। वही धारा 360, 371, दासता, अपहरण, बहलाना व फुसलाने से संबंधित है। वहीं 1986 में, अनैतिक व्यापार (निरोधकों अधिनियम 1956 में संशोधन किया किन्तु आज 21वीं शताब्दी वैश्यावृत्ति में लिप्त व गतिविधियों पर ना कोई आयोग, समिति व ना कोई प्रभावी नीति निर्माण (गाइडलाइन्स) का प्रावधान है। जिससे भारत में वैश्यावृत्ति भारतीय अनियमित व महिलाओं के साथ असामान्य व्यवहार के रूप में है क्योंकि भारत के पूर्वी हिस्से से महिलाओं की तस्करी व जबरन आर्थिक

प्रलोभन द्वारा मेट्रो सिटिज (महानगरों) में आयात किया जाता है। जहां उन पर पशु जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा इन इलाको (कोठो) में मुक्ति अभियान चलाया जाता है। जिसमें पता चलता है कि आर्थिक तंगी व अशिक्षा, प्रशासन ही जवाबदेहिता की कमी जैसे कारणों से पीड़ित महिलाएं ऐसे संगठनों की गिरफत में आ जाती है जिनके द्वारा ये इन्हें वैश्यावृत्ति जैसे पेशे में भेज दिया जाता है। जहां इनका इस दरंदगी भरी जिन्दगी से बाहर आना असंभव होता है।

संविधान में मौलिक अधिकारों और प्रगतिशील कानूनों को पारित करना, समतावादी समाज को निर्मित करने का मार्ग नहीं है। स्वतंत्रता के कई वर्षों के बाद आज भी महिला, असमानता प्रभुत्व और शोषण से ग्रस्त है। हालांकि दिल्ली में उबर टैक्सी घटना ने सिद्ध कर दिया कि अभी भी समाज व राज्य महिला सुरक्षा के लिए कितना तैयार है। साथ ही एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आर्थिक प्रलोभलन का भय से यौन उत्पीडन आदि आज भी कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया है। कई बार सरकारी कार्यालय से उत्पीड़न व शोषण की खबरे सार्वजनिक होती है। शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शोधार्थियों एवं जूनियर सहयोगी शिक्षकों द्वारा अपने विशिष्ट पर आरोप सामान्य हो चले है। जिसके कुछ प्रमुख केसों में तहलका पत्रिका काण्ड, ज्वाहरलाल विश्वविद्यालय काण्ड, हरियाणा कैडर सिविल सेवा अधिकारियों का मामला, नर्स अरूणा मुम्बई मामला, अनेक मामले जो परिस्थितियों के कारण सार्वजनिक नहीं होते।

अतः विधि निर्माण से जरूरी है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन, क्योंकि कानूनी प्रतिपादन की दैधवृत्ति, विविध व्याख्याएं, कानून के कियान्वयन में निरूत्साहिता और न्यायिक प्रकिया में सम्मिलित खर्च एवं विलम्ब निस्सहाय महिला को और भी निरसहाय बनाता है। जिसका पूर्वानुमान डॉ0 अम्बेडकर को संविधान सभा में संविधान द्वारा अधिशासिता वाले परस्पर समानता एवं परंपरा व प्रभावों द्वारा पवित्रोकृत असमानता के मध्य होने वाले परम्पर विरोध वाद विवाद का पूर्व ज्ञान था। आज भी महिलाएं, जिन्हें अपने जीवन और संसाधन पर कम नियंत्रण होने के साथ–साथ सामाजिक शक्तियों द्वारा अधीनस्थ परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जिसका हालिया उदाहरण, तीन तलाक/तलाक–ए–बिद्दत प्रदर्शित होता है। अर्थात् अगस्त 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिला जीवन की गरीमा स्वतंत्रता व विच्छेदन की तीन तलाक की प्रकृति को अवैध घोषित किया गया, जिसके विरोध में पुरुषवादी समाज इस रवैये के खिलाफ खड़ा हो गया और पुर्जोर विरोध किया गया लेकिन न्यायपालिका द्वारा इसे अवैध करार दिया वही अभी तक (दो वर्ष 2018 के बाद) विधायिका प्रभावी कानून बनाने में असमर्थ हो रही है। वही बहुसंख्यक हिन्दू समाज में भी महिलाओं अनेक मंदिर व पूजा स्थलों (सबरीमाला विवाद) पर प्रवेश ना करने वाली प्रवृत्ति को भी अवैध करार दिया। जिस पर अनेक हिन्दूवादी संगठनों द्वारा विरोध किया गया। उपरोक्त निर्णयों से साफ हो जाता है कि हम (समाज व राज्य) आधुनिक व परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए कितने तैयार है।

सूचना क्रान्ति के दौर में कुछ और चुनौतियां शासन व प्रशासन के समाने आ रही है क्योंकि सहज व सरल पहुंच से नये, असामाजिक आयामों में नशा, सोशल मीडिया पर निजिता का उल्लंघन, साइबर व अपराध जैसी घटनाएं बढ़ रही, जिसमें महिलाएं संवेदनशील स्थिति में है क्योंकि बहुआयामी सुरक्षा हमारी प्रशासनिक दक्षता से दूर है एवं समाज में भी बड़ी मात्रा में प्राप्ति सूचनाओं को तार्किक रूप नहीं समझ पा रही है। मोबाइल फोन व इंटरनेट की पहुंच आसान होने से अनैतिक गतिविधियों में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही पाश्चात्य जीवन शैली में बढ़ती प्रवृत्ति ने महिला सुरक्षा को प्रशासन के लिए बेहद चुनौतिपूर्ण है क्योकि शराब खाने, डांस क्लब, बार शालाएं एवं अन्य युवा के मनोरंजन स्थानों पर लगातार देश के महानगरों व विशेष स्थानों पर महिलाओं से हो रहे दुर्व्यवहार चिंताजन स्थिति है क्योंकि आधुनिकता के नाम पर भारतीय युवा नशे व अन्य अनैतिक प्रवृत्ति आने बाद असामाजिक गतिविधियां बलात्कार, सामूहिक बलात्मकार, हत्या, चोरी, एसिड अटैक, जैसी घटनाएं बढ़ रही है। उक्त घटनाएं युवा शक्ति द्वारा अपनी सहयोगी महिला या समाज के किसी अन्य मनुष्य पर यह हमले हो रहे हैं। अर्थात् लगातार जहां भारत औद्योगिक समृद्धि व विकास में विश्वभर में अनेक रिपोर्ट पर चर्चित है वहीं शिक्षा व जागरूकता के बावजूद हम जेंड इनइक्वलेटि, जेंडर गेप इंडेक्स, सोशल इनस्टुशन और जेंड इंडेक्स की रैकिंक प्रणाली में निचले पायदानों पर है।

निष्कर्षत गैर–सरकारी संगठनों, सरकार, समाज संरचना व शिक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं के मुख्य सुरक्षा संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा जैसा कि विश्व आर्थिक फोरम, नीति आयोग, विश्व बैंक, की रिपोर्ट में उल्लेखित होते रहते हैं। बदलते परिवेश में नितांत आवश्यक है कि प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच निश्चित हो सके। सरकार ने जेंडर बजट की

शुरूआत की किन्तु इससे ज्यादा आवश्यक है कि प्रशासन द्वारा महिला लाभार्थी तक पहुंच, जवाबदेहिता व उत्तरदायित्व निश्चित हो, महिला सुरक्षा के आज शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सार्वजनिक मानसिक, स्थानीय स्तर पर प्रयास किये जाऐ, क्योंकि अधिकांश महिलाए निरक्षर व अज्ञानता से लिप्त है। इसलिए बेहद आवश्यक हो जाता है कि तार्किक रूप से जागरूक किया जा सके। अत 28–30 नवम्बर 2017 को हैदराबाद में आठवे वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन ने निश्चित किया कि सतत् रूप से समृद्धि के लिए पहले महिलाओ की समृद्धि, इस सम्मेलन को खास बनाता है, क्योंकि विकासशील सहित विकसित देशों में महिलाए आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में योगदान करने में बेहद समर्थ है, इसके बावजूद, विकसित और विकासशील सभी देशों में बिजनेस आगे बढ़ाने में उन्हें भारी अवरोधों का सामना करना पड रहा है।

अन्तत महिला सतत् उत्थान के शिक्षण संस्थानों व गैर सरकारी सगठनों एव आर्थिक व स्वास्थ्य विभागों द्वारा विशेष सत्ता, मास्टर क्लास, सेमिनार और वर्कशॉप आदि का स्थानीय स्तर पर आयोजन किया जाना चाहिए तथा कैम्प व रैली, अभियानों का आयोजन स्थानीय नेतृत्व द्वारा किया जाना चाहिए।

**सन्दर्भ सूची**

1 देसाई नीरा, ठक्कर ऊषा, भारतीय समाज मे महिलाए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत–2009
2 पालीवाल, कृष्णादत्त, नारी विमर्श की भारतीय परम्परा सत्ता पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली–02, 2014
3 www weforum org
4 www indiawomeneconomicandsocialdev in
5 www nitiayog nic in
6 समाचार पत्र The Hindu, Dainik Jagran, National Paper
7 कुरूक्षेत्र
8 योजना